



2026:AHC:50099

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट -सी संख्या -9006 वर्ष 2026

अभय शंकर दुबे

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 11 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मुन्ना तिवारी, संदीप कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., सुधीर भारती

कोर्ट नंबर - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी-प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि प्रतिवादी संख्या 2, यानी अपर आयुक्त, प्रशासन-प्रथम, मंडल गोरखपुर, तहसील बांसगांव, गोरखपुर को निर्देश दिया जाए कि वे यू.पी. जेड.ए.& एलआर., 1950 की धारा 331(1) के तहत दर्ज मामला संख्या 1885/2023 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या सी202305000001885), (शिवशंकर दुबे बनाम अभय शंकर दुबे और अन्य) का निपटारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर करें।
4. पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और इस मुद्दे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस रिट याचिका का **अंतिम रूप से निपटारा** किया जाता है। इसके साथ ही, प्रतिवादी संख्या 2, यानी अपर आयुक्त, प्रशासन-प्रथम, मंडल गोरखपुर, तहसील बांसगांव, अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गोरखपुर को यह निर्देश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त आवेदन पर कानून के अनुसार, शीघ्रता से-और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से **छह महीने** की अवधि के भीतर-निर्णय लें, बशर्ते कि इसमें कोई कानूनी बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,)

11 मार्च, 2026

स्वाति

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।